संख्याः 1222/XVII(4)/2012/42/04

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2012

विषय– 11वी पंचवर्षीय योजनाओं में आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत गाड़ियों को किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 66/वी0वाहन पत्रां0–212/2012–13 दिनांक 12–4–2012 एवं निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 9–3/2008–सी0डी0–III दिनांक 13–7–2009 तथा अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 9–3/2008–सी0डी0–III दिनांक 4–5–2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्टेट सैल के लिये 04 वाहन, जनपद सैल के लिये 07 वाहन, परियोजनाओं के लिये 67 वाहन अर्थात कुल 78 वाहन को दिनांक 31–3–2013 तक की अवधि के लिये किराये पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उपरोक्त किराये के वाहन हेतु समस्त औपचारिकतायें वित्तीय मानकों को ध्यान में रखते हुये पूर्ण की जाय।

3– वाहनो को किराये पर लिये जाने हेतु निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 9–3/2008 सी0डी0–III दिनांक 13–12–2008 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 13–7–2009 एवं अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 4–5–2012 में उल्लिखित शर्तो का पालन किया जाये।

4. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 102–बाल कल्याण,01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0102–समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0स0) 0104–समन्वित बाल विकास के लिये जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0स0) तथा अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक संख्या 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04–समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार की मानक मद संख्या–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव

S.O.(MWCD)/Letters Off. 1276

संख्या: 1222 (1)/XVII(4)/2012/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड।
3– अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या 9–3/2008–सी0डी0–III दिनांक 4–5–2012 के क्रम में।
4– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0।
7– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

S.O.(MWCD)/Letters Off. 1277